

न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद (कोटा)

उनवान संख्या

98/19

पीठासीन अधिकारी - जबर सिंह (R.A.S.)

तारीख दायरा

22.08.2019

तारीख फैसला

०४/११/२०१९

उनवान

मानवेन्द्र सिंह पुत्र जसराज सिंह जाति राजपूत निवासी गांवडी तहसील दीगोद हाल मुकाम म०नं० ६ ए-३१ महावीर नगर III कोटा जिला कोटा राज०

- वादी

बनाम

1. जसराज सिंह पुत्र मेहन्द्र जाति राजपूत निवासी गांवडी तहसील दीगोद जिला कोटा राज०
2. रणदीप सिंह पुत्र जसराज सिंह जाति राजपूत निवासी गांवडी तहसील दीगोद जिला कोटा राज०
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

-प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88-89 आर.टी.एक्ट

उपस्थित - श्री सुरेन्द्र दाधीच एडवोकेट वादी की ओर से
- श्री रामबाबू दाधीच एडवोकेट प्रतिवादी नं० १ लगायत ३ की ओर से

निर्णय

वादी ने वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88-89 आरटीएक्ट, इस कथन के साथ पेश किया कि ग्राम गांवडी तहसील दीगोद में ख०नं० 88 रकबा 6.70 हे०, ख०नं० 89 रकबा 0.64 हे०, ख०नं० 94 रकबा 0.64 हे०, ख०नं० 125/220 रकबा 0.58 हे०, ख०नं० 126 रकबा 1.52 हे० कुल कित्ता 5 रकबा 10.08 हे० भूमि स्थित चली आ रही है। उक्त भूमि पुश्तेनी है जिस पर वादी अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त करता चला आ रहा है। उक्त भूमि प्रतिवादी नं० 1 के नाम खातें दर्ज होने से वादी को अपने हिस्से 1/3 भूमि पर विकास कार्य करने एवं सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में काफी परेशानी आ रही है। इसलिए वादी उक्त भूमि में से अपना हिस्सा 1/3 राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज करवाने का कानूनन अधिकारी है। विवादित आराजीयात प्रतिवादी नं० 1 के खातें दर्ज हानें से प्रतिवादी नं० 1 उक्त भूमि को अन्यत्र रहन, बैचान करने पर आमादा है। उक्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादी नं० 2 का अधिकार निहित होने से प्रत्येक का हिस्सा 1/3-1/3-1/3 बनता है। उक्त भूमि पुश्तेनी होने से वादी एवं प्रतिवादी नं० 2 का जन्मतः हक अधिकार होने से वादी को हिस्सानुसार 1/3 भूमि का बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वाद कारण दिनांक 30.08.2019 को प्रतिवादी नं० 1 द्वारा वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने से मना करने पर ग्राम गांवडी में उत्पन्न हुआ।

वाद प्रस्तुत कर वादी ने निवेदन किया कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे- ग्राम गांवडी तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 88 रकबा 6.70 हे0, ख0नं0 89 रकबा 0.64 हे0, ख0नं0 94 रकबा 0.64 हे0, ख0नं0 125/220 रकबा 0.58 हे0, ख0नं0 126 रकबा 1.52 हे0 कुल किता 5 रकबा 10.08 हे0 भूमि पुश्तेनी होने से वादी का जन्मतः अधिकार निहित होने से तथा मौके पर वादी 1/3 हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त होने से वादी को बतौर प्रतिवादी नं0 1 व 2 के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। अन्य न्यायोचित सहायता वादी को प्रतिवादीगण से दिलायी जावे।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादी द्वारा निम्न साक्ष्य प्रस्तुत किये-

1. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम गांवडी सं0 2074-77 खाता नं0 18


वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी नं0 1 लगायत 2 की ओर से वकील श्री रामबाबू दाधीच का वकालतनामा प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादी नं0 1 लगायत 2 द्वारा प्रकरण में इकबालिया जवाब के साथ, उभयपक्ष द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया। राजीनामा उपस्थित पक्षकारान् को पढकर सुनाया गया, जिस पर पक्षकारान् ने सहमति जाहिर की। वादी की पहचान वकील श्री सुरेन्द्र दाधीच व प्रतिवादी नं0 1 ता 2 की पहचान वकील श्री रामबाबू दाधीच द्वारा प्रमाणित की गई। राजीनामा पर उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन किया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रतिलिपि जमाबंदी सं0 2074-77 खाता नं0 18 के अनुसार विवादित आराजीयात् का प्रतिवादी नं0 1 जसराज सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह खातेदार राजस्व अभिलेख से प्रमाणित है। वादी एवं प्रतिवादी नं0 2, जसराज सिंह की संतान है तथा वादी व प्रतिवादी नं0 1 लगायत 2 नें मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री किये जानें की स्वीकारोक्ति प्रदान की है।

चूंकि प्रकरण पिता एवं संतान के मध्य पुश्तेनी भूमि में घोषणा को लेकर जैरकार है। प्रस्तुत प्रकरण पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के परिप्रेक्ष्य में विचारण करने के उपरान्त संतान का अपने पिता की पुश्तेनी आराजी में जन्म से ही स्वत्व निर्धारित हो जानें की अवधारणा है। उभयपक्ष द्वारा प्रकरण में राजीनामा प्रस्तुत करने के परिणामस्वरूप प्रकरण में समस्त विवादको का अवसान हो जाना स्वाभाविक है। अतः उभयपक्ष की सहमति के आधार पर वाद वादी स्वीकार योग्य है।

लिहाजा वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम गांवडी तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 88 रकबा 6.70 हे0 में से 3.35 हे0 भूमि उत्तर

दिशा का वादी को तथा प्रतिवादी नं० 2 को ख०नं० 88 रकबा 6.70 हे० में से रकबा 3.35 हे० भूमि दक्षिण दिशा का तथा ग्राम गांवडी तहसील दीगोद स्थित ख०नं० 89 रकबा 0.64 हे०, ख०नं० 94 रकबा 0.64 हे०, ख०नं० 125/220 रकबा 0.58 हे०, ख०नं० 126 रकबा 1.52 हे० भूमि का प्रतिवादी नं० 1 जसराज सिंह को खातेंदार घोषित किया जाता है, रहन यथावत् रहेगा।" तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हों। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक ०४/११/२०१९ को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(जबर सिंह)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

अन्तिम डिक्री मुकदमा
(आ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा

उनवान

मानवेन्द्र सिंह पुत्र जसराज सिंह जाति राजपूत निवासी गांवडी तहसील दीगोद हाल
मुकाम म0नं0 6 ए-31 महावीर नगर गा कोटा जिला कोटा राज0

- वादी

बनाम

1. जसराज सिंह पुत्र मेहन्द्र जाति राजपूत निवासी गांवडी तहसील दीगोद जिला कोटा राज0
2. रणदीप सिंह पुत्र जसराज सिंह जाति राजपूत निवासी गांवडी तहसील दीगोद जिला कोटा राज0
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

-प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88-89 आर.टी.एक्ट


मिसल नम्बर-98/19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू मुझ जबर सिंह आर.ए.एस. बहाजिरी श्री सुरेन्द्र दाधीच एडवोकेट मिनजानिब मुददई रुबरु मिनजानिब श्री रामबाबू दाधीच एडवोकेट मुददालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि "वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम गांवडी तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 88 रकबा 6.70 हे0 में से 3.35 हे0 भूमि उत्तर दिशा का वादी को तथा प्रतिवादी नं0 2 को ख0नं0 88 रकबा 6.70 हे0 में से रकबा 3.35 हे0 भूमि दक्षिण दिशा का तथा ग्राम गांवडी तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 89 रकबा 0.64 हे0, ख0नं0 94 रकबा 0.64 हे0, ख0नं0 125/220 रकबा 0.58 हे0, ख0नं0 126 रकबा 1.52 हे0 भूमि का प्रतिवादी नं0 1 जसराज सिंह को खातेंदार घोषित किया जाता है, रहन यथावत् रहेगा।" तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 08 / 11 / 2019 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना-अपना वहन करेंगे।



(जबर सिंह)

सहायक कलक्टर,
दीगोद